

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थी / प्रार्थीगण सुखराम पुत्र काछबाराम जाति विशनोई निवासी रोहिचा कल्ला तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी रातडी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा	बनाम विप्रार्थी / विप्रार्थीगण 1. सिमाराम उर्फ चिमाराम पुत्र काछबाराम जाति विशनोई निवासी रोहिचा कल्ला तहसील लूणी जिला जोधपुर वगैरह (6) 7 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा खण्डप तहसील समदड़ी जिला बालोतरा 8 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा
--	---

किस्म मुकदमा.....धारा 212 RT Act.

मुकदमा नंबर:-72/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.04.2025	<p>प्रार्थी सुखराम की ओर से वकील श्री पूनमचंद रामदेव ने यह आवेदन विप्रार्थी सिमाराम उर्फ चिमाराम के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना</p>	
07.5.25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठाधीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। इजलाहा होकर पत्रावली दिनांक 20-06-25 को पेश हो।</p>	
20-06-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपास्थित। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री नैलाश पुरी उपास्थित। विप्रार्थीगण 2 से 8 की तलबी मूल वाद में पूर्ण। तावच्छ सूचना के उक्त विप्रार्थीगण अनुपास्थित। विप्रार्थीगण 2 से 7 का इंजार् बेम्बर पत्रावली दिनांक 31-07-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना</p>	
28-07-2025	<p>प्रार्थी वकील के रिषेद पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थी वकील उपास्थित। मुंडी मूल वाद जरिचे विहो खारिज हो चुका है। अतः आवेदन की कार्यवाही जारी रखे जाने का कोई अतिरिक्त नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वी स्तर पर खारिज छिपा जा रहा है। पत्रावली अंतल सुमार बेम्बर मूल वाद के संलग्न है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना</p>	

